

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 जून 2020—आषाढ़ 3, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 24 जून 2020

क्र. एफ-3-5-2020-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37, सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा श्री उल्लास बापट (सेवानिवृत्त) जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 03 वर्ष के लिए संभागीय सतर्कता समिति, इन्दौर संभाग, इन्दौर में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मधु नाहर, उपसचिव.